न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

रामेश्वरी बनाम रमनदीप आदि

प्रकरण का प्रकार 223 आरटीएक्ट क्रमांक सन 2021

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
06.08.2021	पत्रावली रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 16.04.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 22 सीपीसी, धारा 151 सीपीसी तथा धारा 5 मियाद अधिनियम पर आदेश हेतु पेश हुई। अपीलाण्ट ने दिनांक 16.04.2021 की आदेशिका पर कथन किया कि वह अपील चलाना नहीं चाहता है। रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने चक 3 जेडब्ल्यूके प. नं. 81/356 के किला नं. 20 की 0.253 है0 कृषि भूमि गौरा देवी को दी व मुझ प्रार्थी को भी दी जिसमें प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को 0.253 है0 कृषि भूमि कम प्राप्त हुई है तथा खाला व रास्ता इत्यादि का ध्यान भी नहीं रखा गया है। अतः प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 22 सीपीसी स्वीकार किया जावे। अपीलाण्ट ने रंजिशवश उक्त अपील को विड्रा किया है और वह भूमि को रहन बैय करना चाहता है। प्रार्थी दूर गांव का अनपढ व्यक्ति है कोरोना काल व अधिवक्ता से सम्पर्क नही होने के कारण प्रार्थी अपना उचित समय पर प्रत्याक्षेप प्रस्तुत नही कर सका था। अतः देरी कंडोन की जावे एवं तीनों प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जावें। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट ने दिनांक 16.04.2021 को फर्द अहकाम पर यह अंकित किया कि वह अपील आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः अपीलाण्ट का अपील नहीं चलाने का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा अपील खारिज की जाती है। जब अपीलाण्ट अपील चलाना ही नही चाहता तो रेस्पोडेण्ट के प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः रेस्पोडेण्ट के उक्त तीनों प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 22 सीपीसी, धारा 151 सीपीसी तथा धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किये जाते हैं तथा रेस्पोडेण्ट अलग से विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 6.8.21 को लिखाया जाकर सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Kartar Singh Poonia Date: 2021.09.13 12:36:06 IST Reason: SelfAttested 6/8/21 राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़	